न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1859 दिनांक 22/08/22

प्रार्थीगण :-
1.जोगी पत्नि भंवराराम 2.रामू पत्नि हनुमानराम 3.राजो पत्नि सालूराम, 4.हडुमानराम 5.मगनाराम पि. दमाराम, जाति जाट, निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-
1.हड़वंतसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत 2. मोटाराम पुत्र सोनाराम 3.दमाराम पुत्र प्रभाराम 4. शिवदानराम पुत्र किसनाराम, जाति जाट, निवासी बीजराड़ तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 77/2021 दिनांक : 22.08.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा बीजराड़ के खेत खसरा सं. 881 रकबा 44.14 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन)

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1860 to 1863 दिनांक 22/08/22

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जोगी वगैरा
3. विप्रार्थीगण हडवंतसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन को ... हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन